यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर के माह 07/2012 से 11/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.12.2018 से 29.12.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायो जैसे आशुलिपि हिन्दी, स्विंग टैक., विधुत्कार आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे गोपेश्वर क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2013-14	0.00	0.00	26.03	24.43	1.40	0.80	-	2.29
2	2014-15	0.00	0.00	28.04	28.04	9.47	9.47	-	0.00
3	2015-16	0.00	0.00	36.93	32.28	11.06	9.37	-	6.33
4	2016-17	0.00	0.00	35.65	31.57	17.01	15.33	-	5.71
5	2017-18	0.00	0.00	44.19	39.24	10.94	10.39	-	5.50
6	2018-19	0.00	0.00	35.45	22.11	14.94	12.38	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 07.2012 से 11.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2015, 03/2018 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2'ब'

प्रस्तर:01- शासन से व्यवसाय हेतु सम्बद्धता न होने पर भी व्यवसाय हेतु भवन निर्माण पर रु. 48.32 लाख का निष्फल व्यय।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर मे संचालित भारत सरकार की पीपीपी मोड योजना की लेखापरीक्षा मे संवीक्षा की गयी, जिसमे पाया गया कि संस्थान मे पूर्व से मौजूद व्यवसायो का अपग्रेडशन तथा न्यू ट्रेड खोले जाने हेतु वर्ष 2008 मे रु 2.50 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण Institute Management Committee (आईएमसी) को अवमुक्त किया गया। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Institute Development Plan (आईडीपी) के अनुसार निर्धारित मदों की धनराशि से संबन्धित कार्यो पर व्यय किया जाना था, जिसमे नए ट्रेड के संचालन हेतु सिविल वर्क पर व्यय किया जाना प्रावधानित था।

जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि संस्थान मे संचालित व्यवसायो मे मोटर मेकेनिक व्यवसाय अस्तित्व मे नही था, परंतु व्यवसाय के भविष्य मे संचालन की प्रत्याशा मे योजना की सिविल वर्क की रु 48.32 लाख की राशि मोटर मेकेनिक भवन निर्माण पर व्यय कर दी गयी जो वर्तमान तक व्यवसाय का Affiliation उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त न होने के कारण प्रतीक्षित था। आगे जांच मे यह भी उद्घटित हुआ कि योजना कि राशि उन्ही व्यवसायो मे व्यय की जाएगी जो National Council for Vocational Training (एनसीवीटी) के अंतर्गत आते हो, परंतु मोटर मेकेनिक व्यवसाय की मान्यता राज्य स्तरीय एससीवीटी से भी प्राप्त नही पायी गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि व्यवसाय मोटर मेकेनिक पर रु 48.00 लाख सिविल वर्क पर व्यय किया गया, जिसका संचालन होना गतिमान है।

उत्तर संतोषजनक नही था क्योंकि शासन द्वारा अभी तक मोटर मेकेनिक व्यवसाय की संचालन के लिए संबद्धता प्रदान न करना दर्शाता है कि समिति द्वारा क्रियान्वयन किए गए कार्यों में नियोजन की कमी थी, फलतः लेखापरीक्षा मे उक्त व्ययसाय हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के मध्य धनराशि व्यय के पश्चात संचालन वर्तमान तक अप्रारंभ था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग – 2 'ब'

प्रस्तर:02- वित्तीय नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना धनराशि रु 3.75 लाख का अनियमित व्यय।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि पत्रांक 614-18/डीटीईयू/0202/003-07/2017-18, दिनांक 16.01.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखाशीर्ष 2230-03-003-07 के अंतर्गत मानक मद-26 'मशीन और साज-सज्जा/उपकरण' मे धनराशि रु 3.76 लाख का आबंटन निम्न प्रतिबंधों के तहत किया गया

1. आहरित किए जाने वाले देयकों के क्रयादेश अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत संस्थान स्तर पर अनुमन्य अधिकारो के अंतर्गत अथवा तत्समय वैध डीजीएसएनडी रेट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये निर्गत किए गए हो।
2. क्रयादेश के सापेक्ष प्राप्त साज सज्जा क्रयादेश की विशिष्टियों के अनुरूप प्राप्त की गयी हो तथा साज सज्जा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हो।
3. शासकीय व्यय हेतु अधिप्राप्ति नियम 2017 तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

उक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य मे आबंटित धनराशि रु 3.76 लाख के सापेक्ष मद संख्या 26 के अंतर्गत धनराशि रु 3.75 लाख के सीसीटीवी हेतु फ़र्म लिपि एंटरप्राइज़ को वाउचर संख्या बी22300060, दिनांक 20.03.2018 द्वारा भुगतान किया गया। इकाई ने बताया कि संबन्धित साज सज्जा की क्रय पद्दति/क्रय प्रक्रिया (दर संविदा) का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट मे अप्रस्तुत पाया गया। जबकि उक्त शर्तो के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व इकाई द्वारा क्रय आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना था परन्तु लेखापरीक्षा मे सामग्रियों के आपूर्ति के संबंध मे इकाई ने कोई क्रय आदेश की पत्रवालिया उपलब्ध थी तथा बिना क्रय आदेश सुनिश्चित किए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा फ़र्मों को भुगतान किया गया था। आगे जांच मे पाया गया कि संबन्धित फ़र्म को धनराशि रु 3.75 लाख का भगतान बिना टीडीएस कटौती किए किया गया तथा कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी आपूर्ति आदेशों के अनुसार धनराशि रु 3.72 लाख का भुगतान संबन्धित फ़र्म को किया जाना था जबकि फ़र्म को धनराशि रु 3.75 लाख का अदेय भुगतान इकाई स्तर से किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि सीसीटीवी के संबंध मे क्रय की प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की गयी इकाई द्वारा मात्र आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे एवं उच्च अधिकारियों के निर्णय के अनुसार फ़र्म को भुगतान किया गया।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ द्वारा सामग्रियों के भुगतान मे पारदर्शिता नही बरती गयी। जब डीडीओ द्वारा क्रय आदेश की पत्रावली नही प्राप्त की गयी तो उन्होने फ़र्मों से प्राप्त सामगियों की सुनिश्चितता किस आधार पर की, वो लेखापरीक्षा मे स्पष्ट नही हो पाया जो अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या 3(1) & 3(8) के अनुसार पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता का उल्लंघन का प्रकरण था।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर: धनराशि रु 23.57 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण पाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम 2008 के नियम संख्या 12 के अनुसार धनराशि रु 15.00 लाख की सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु सीमित निविदा प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए जिसके तहत कम से कम एक राष्ट्रीय अखबार मे निविदाए आमंत्रित की जाए एवं 03 से अधिक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओ के मध्य प्रतिस्पर्धा की जाए।

भारत सरकार की पीपीपी मोड के तहत व्यवसायो के उच्चीकरण एव नए व्यवसाय हेतु संचालित योजना के तहत कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर हेतु क्रय किए गए मशीनों एवं उपकरणो की जांच की गयी। आईएमसी संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि धनराशि रु 23.57 लाख के मशीनों एवं उपकरणो का क्रय नए व्यवसायो मोटर मैकेनिक, फिटर एवं इलेक्ट्रिशियन खोले जाने हेतु वर्ष 2011-12 मे रु 18.36 लाख एवं वर्ष 2013-14 मे रु 5.21 लाख के मध्य किया गया। जांच मे पाया गया कि उक्त व्यवसायो हेतु उपकरणो एवं मशीनों का अधिप्राप्ति करते समय सीमित निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी साथ ही प्रतिस्पर्धा हेतु अखबार मे कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नही की गयी बल्कि किसी अन्य संस्थान आईटीआई चम्बा मे हुई क्रय प्रक्रिया मे चयनित छः फ़र्मों को पंजीकृत कर, इन सभी फ़र्मों को पंजीकृत मानते हुये एल-1 के आधार पर सामग्री क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित फर्मों को धनराशि रु 26.69 लाख के आपूर्ति आदेश जारी किए गए, जो सीमित निविदा की अधिकतम सीमा को पार किए जाने के कारण आपूर्ति आदेशो को 25 लाख तक सीमित कर आपूर्ति आदेश जारी किए गए। आगे जांच मे पाया गया कि वर्तमान तक उक्त व्यवसायो असंचालित पाये गए जिसका कारण संस्थान मे अनुदेशकों नही होना तथा वर्तमान तक उक्त व्यवसायो को संबंधन(affiliation) अप्राप्त होना था परिणामस्वरूप धनराशि रु 23.57 लाख के उपकरण एवं मशीन निष्क्रिय अवस्था मे स्टॉक मे पड़े थे। आगे जांच मे पाया गया कि संस्थान मे फिटर ट्रेड हेतु (7/2009)मे 90% साज सज्जा उपलब्ध होने एवं अनुदेशक नियुक्त होने के बाद उपकरणो एवं मशीनों का क्रय किया गया जबकि उक्त व्यवसाय वर्तमान तक संचालित नही किया जा सका।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि तात्कालीन जो समिति के सदस्यो द्वारा निर्णय लिया गया था, वर्तमान मे उक्त बिन्दु पर टिप्पणी नही की जा सकती, संबन्धित व्यवसाय मे अनुदेशक के पद रिक्त होने के कारण व्यवसाय संचालित नही है तथा संबन्धित मशीन एवं उपकरण व्यवसाय संचालित न होने के कारण स्टोर मे पड़े हुये है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आईएमसी समिति द्वारा उक्त व्यवसायो हेतु उक्त वित्तीय नियमो का अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया तथा वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक उपकरण एवं मशीनों का क्रय निरंतर किया जाने के बाद भी इकाई संबन्धित व्यवसाय संचालित करने मे विफल रही, यह विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
----------NIL----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
----------NIL----------						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री डी॰ एस॰ नेगी	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर	लेखापरीक्षा अवधि से 11/2016
श्री आर॰ के॰ शर्मा	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर	12/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोपेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.